तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पाबूराम सुथार बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार पीपाड़शहर) सू.अ.अ. अपील संख्या 49 / 2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.21	अपीलार्थी पाबूराम सुथार पुत्र कालूराम सुथार ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.01.2021 में उसके द्वारा (1) पटवार मण्डल खांगटा तहसील पीपाड़शहर के पटवारी द्वारा पी एम सम्मान निधि योजना के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में से आरम्भ से लेकर आदिनांक तक पटवारी द्वारा स्वीकृत आवेदनों के आवेदकों के नाम, पिता का नाम, जाति, आधार संख्या, जमाबंदी के खाता संख्या(नया व पुराना), खसरा संख्या, भूमि की किस्म, रकबा बैंक खाता संख्या, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 20 दिनांक 12.03.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना जरिये पत्रांक 17 दिनांक 12.03.2021 के रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जाती है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना अपील दायर करने के पश्चात् दी गई जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि सूचना का अधिकार अधि. के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	